रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271806
CG-DL-E-15042026-271806

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948
No. 107] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली,10 अप्रैल, 2026

सं. 02/2026-27

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु एल्युमिनियम उद्योग के लिए कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक और सीपीसी विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चे पेट्रोलियम कोक के आयात हेतु मात्राओं के आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/88/एएम-24/पीसी-2(ए)/ई-42041.—1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिनांक 15.02.2024 के उनके आदेश का संदर्भ लिया है जिसके अनुसार वित वर्ष 2024-2025 के लिए एल्युमीनियम उद्योग, कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक (सीपीसी) का आयात कर सकता है जो 0.5 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक नहीं हो और कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक विनिर्माण इकाइयां कच्चे पेट्रोलियम कोक (आरपीसी) का आयात कर सकती हैं जो 1.9 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक नहीं हो और वित्त वर्ष 2025-26 से क्रमशः कैल्सीनर्स के लिए 1.9 मिलियन मीट्रिक टन आरपीसी और एल्युमीनियम उद्योग के लिए 0.8 मिलियन मीट्रिक टन सीपीसी का आयात कर सकती हैं।

2. सीएक्यूएम के आदेश को ध्यान रखते हुए, अधिसूचना संख्या 68/2023 दिनांक 07.03.2024 और अधिसूचना संख्या 27/2024-25 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा पेट्रोलियम कोक की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन किया गया था। इसके साथ ही, यह भी इंगित किया गया है कि इस तरह के आयात का विनियमन और निगरानी पर्यावरण, वन और

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, जो कार्यालय ज्ञापन संख्या क्यू-18011/54/2018-सीपीए दिनांक 10 सितंबर 2018 के अनुसार जारी किए गए हैं।

3. सार्वजनिक सूचना संख्या 48/2024-25 दिनांक 12.02.2025 का संदर्भ लें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एल्युमीनियम उद्योग में उपयोग के लिए कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक और सीपीसी विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चे पेट्रोलियम कोक के आयात की मात्रा के आवंटन की प्रक्रिया अधिसूचित की गई थी।

4. इसके अतिरिक्त, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश व्यापार महानिदेशालय वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एल्युमीनियम उद्योग में उपयोग के लिए 0.8 मिलियन मीट्रिक टन सीपीसी के आयात और सीपीसी विनिर्माण उद्योग के लिए 1.9 मिलियन मीट्रिक टन आरपीसी के आयात के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

5. विदेश व्यापार महानिदेशालय एतद्द्वारा 2026-27 के लिए सीपीसी और आरपीसी के आयात के लिए आवंटन को लागू करने की प्रक्रिया को निम्नानुसार अधिसूचित करता है:

(i) निर्यात पर वार्षिक मात्रा सीमा वित्तीय वर्ष के आधार पर संचालित की जाएगी अर्थात 01.04.2026 से 31.03.2027 तक।

(ii) सभी आवेदन 20 अप्रैल, 2026 को या उससे पहले डीजीएफटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन Services -- > Import Management System -- > Import Authorisation for Restricted Imports -- > Apply for New Authorisation, under Import Category as 'Import of Pet Coke' के तहत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। किसी अन्य श्रेणी के तहत प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं।

(iii) आरपीसी/सीपीसी के आयात के लिए सभी आवेदनों का मूल्यांकन मामले-दर-मामले के आधार पर, उपर्युक्त पैरा (4) में निर्दिष्ट समग्र मात्रा सीमाओं के भीतर किया जाएगा। प्रत्येक आवेदक को आवंटित की जाने वाली मात्रा का निर्धारण समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023 के पैरा 2.48 में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार, एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

(iv) इसके अतिरिक्त, आयात समय-समय पर यथा संशोधित अनुसूची-1 (आयात नीति), आइटीसी (एचएस) 2022 के अध्याय 27 के तहत संबंधित आयात नीतिगत शर्तों, और समय-समय पर यथा संशोधित एमओईएफ एंड सीसी द्वारा का.ज्ञा. संख्या क्यू- 18011/54/2018 - सीपीए दिनांक 10 सितंबर, 2018 के अनुसार निर्धारित दिशानिदेशों के अध्यधीन होंगे। आयात आवंटन हेतु आवेदन पर विचार करने के लिए उल्लिखित शर्तों के पैरा-वार अनुपालन के लिए विधिवत प्रमाणित वचनपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) वर्तमान आवंटन में पिछले वर्ष के आवंटन के तहत उपयोग की गई मात्राओं पर भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि उपलब्ध कोटा का सही आवंटन और कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(vi) उपर्युक्त के अनुसार आयात आवंटन का लाभ उठाने के इच्छुक आवेदक, सीएक्यूएम आदेश की तिथि, अर्थात 15.02.2024 को संबंधित एसपीसीबी द्वारा विधिवत प्रमाणित अपनी आरपीसी/सीपीसी प्रक्रियात्मक क्षमता का प्रमाण पत्र, उत्पादन क्षमता को स्पष्ट रूप से बताते हुए एक वैध सीटीओ के साथ अपलोड करेंगे।

(vii) जारी किया जाने वाला सीमित आयात प्राधिकार पत्र केवल 31.03.2027 तक ही वैध होगा। आयात 31.03.2027 से पूर्व पूरा किया जाना है, अर्थात, इस तिथि से पूर्व खेप को सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए।

(viii) डीजीएफटी नीतिगत परिवर्तनों, पर्यावरणीय विचारों या सक्षम प्राधिकारियों के निदेशों के मद्देनज़र किसी भी समय इस प्रक्रिया या किसी भी आवंटन को संशोधित करने, निलंबित करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी आवेदक को आवंटन का कोई निहित अधिकार नहीं होगा।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एल्युमीनियम उद्योग में उपयोग के लिए कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक (सीपीसी) और सीपीसी विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चे पेट्रोलियम कोक (आरपीसी) के आयात के लिए मात्रा के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th April, 2026

No. 02/2026-27

Subject: Procedure for Allocation of Quantities for import of Calcined Petroleum Coke for Aluminium Industry and Raw Petroleum Coke for CPC manufacturing industry for the Financial Year 2026-27 –reg.

F. No. 01/89/180/88/AM-24/PC-2(A)/E-42041.—1. It is submitted that, the Commission for Air Quality Management (CAQM) in compliance of the directions of the Hon'ble Supreme Court vide its order dated 15.02.2024 decreed that Aluminium industry can import Calcined Petroleum Coke (CPC) not exceeding 0.5 Million MTs and Calcined Petroleum coke manufacturing units can import Raw Petroleum Coke (RPC) not exceeding 1.9 Million MTs for FY 2024-25 and 1.9 MMT RPC for Calciners and 0.8MMT CPC for Aluminium Industry respectively from 2025- 26 onwards.

2. In light of the order of the CAQM, the import policy condition of Petroleum Coke was amended vide Notification No. 68/2023 dated 07.03.2024 and Notification No. 27/2024-250 dated 04.09.2024. Herein, it has also been indicated that the regulation and monitoring of such imports will be as per the guidelines of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued vide OM no. Q-18011/54/2018-CPA dated 10th September 2018.

3. Reference is drawn to Public Notice No. 48/2024-25 dated 12.02.2025, wherein the Procedure for allocation of quantities for import of Calcined Petroleum Coke for use in Aluminium Industry, and Raw Petroleum Coke for CPC manufacturing industry for the financial year 2025-26 was notified.

4. Further to that, in exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, the Directorate General of Foreign Trade hereby invites applications for import of CPC for use in the Aluminium Industry for 0.8 million MTs and import of RPC for CPC manufacturing industry for 1.9 million MTs for the financial year 2026-27.

5. The Directorate General of Foreign Trade hereby notifies the procedure to implement the allocation for import of CPC and RPC for the year 2026-27, as under:

(i) The annual quantity limitation on imports will be operated on a financial year basis, i.e. 01.04.2026 till 31.03.2027.

(ii) All Applications are required to be submitted online on or before 20thApril, 2026 and are required to be submitted on the DGFT Website under

Services -- > Import Management System -- > Import Authorisation for Restricted Imports -- > Apply for New Authorisation, under Import Category as 'Import of Pet Coke'. Applications submitted under any other Category are liable to be rejected.

(iii) All applications for the import of RPC/CPC shall be evaluated on a case- by-case basis, within the overall quantity limits specified in Para (4) above. The quantity to be allocated to each applicant will be determined based on the recommendations of the Exim Facilitation Committee (EFC), in accordance with the procedures outlined in Para 2.48 of the Handbook of Procedures (HBP) 2023, as amended from time to time.

(iv) Further, Imports will be subject to relevant Import Policy conditions under Chapter 27 of Schedule-l (Import Policy), ITC (HS) 2022, as amended from time to time, and guidelines laid down by MOEF&CC vide OM no. Q- 18011/54/2018-CPA dated 10th September 2018 and as amended from time to time. A duly certified undertaking for para-wise compliance with the stated conditions shall be submitted along with for consideration of application for import allocation.

(V)The present allocation will also look into the quantities utilised under the previous year's allocation, with a view to ensuring optimal allocation and efficient use of the available quota.

(vi) Applicants desiring to avail import allocation as mentioned above, shall upload a certificate of their RPC/CPC Processing capacity, duly certified by the SPCB concerned, as on the date of the CAQM Order, i.e. 15.02.2024, along with a valid CTO clearly stating the production capacity.

(vii)The Restricted Import Authorisation to be issued shall be valid till 31.03.2027 only. Imports have to be completed before 31.03.2027, i.e. consignments must be cleared by the customs authorities before this date.

(viii)DGFT reserves the right to modify, suspend or cancel this procedure or any allocation at any time in view of policy changes, environmental considerations, or directions of competent authorities. No applicant shall have any vested right to allocation.

Effect of the Public Notice: Applications are invited for allocation of quantities for import of Calcined Petroleum Coke (CPC) for use in the Aluminium Industry and Raw Petroleum Coke (RPC) for CPC manufacturing industry for the financial year 2026–27, in accordance with the prescribed procedure.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA